भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2283
सोमवार, 5 अगस्त, 2024 / 14 श्रावण, 1946 (शक)

अधिशेष कार्यबल

2283. श्री एस. जगतरक्षकनः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क): क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि वर्तमान में विकसित देशों में श्रमिकों की कमी है,

(ख): यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग): सरकार द्वारा इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है कि देश अपने अधिशेष युवा कार्यबल को इन देशों में भेजकर इस अवसर का लाभ उठा सकता है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): भारत सरकार ने मेजबान देश के श्रम बाजार की पहचान की गई आवश्यकताओं के अनुसार कुशल कामगारों, छात्रों, पेशेवरों, शोधकर्ताओं और व्यापारिक व्यक्तियों की मोबिलिटी को सुविधाजनक बनाने हेतु विभिन्न मोबिलिटी समझौते, जैसे श्रम मोबिलिटी समझौते, श्रम कल्याण समझौते और हाल ही में प्रवासन और मोबिलिटी साझेदारी व्यवस्था सम्पन्न की है, जिससे भारतीय कामगारों और पेशेवरों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

*****